::आदेश::

भारत सरकार, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/28/2019/एफ0सी0/1616 दिनांक 22.10.2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली–घटधार–थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई हैं। जिसकी शर्त सं0 3(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.104हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम जामटी(भदली) सिविल खसरा सं0 48,134 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम उपजिलाधिकारी टिहरी द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 1514/वै0सहा0–विविध/2021 दिनांक 22.09.2021 एंव पत्र सं0 70/वै0सहा0–विविध/2021 दिनांक 24.11.2021 में उल्लेख किया है कि चौण्डी से भदली–घटधार–थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052हे0 वन भूमि के एवज में ग्राम भदली ज0वि0र0खतौनी खाता सं0 10/11 में दर्ज खसरा सं0 48/1.538हे0,134/0.566हे0 कुल 02 खेत रक्वा 2.104 हे0 भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई हैं।उक्त भूमि पर जंगल है, जिसका इस्तेमाल ग्रामीण चारा–पत्ती के लिए करते हैं। वर्तमान समय में किसी भी ग्रामीण द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया हैं। यह भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़ के अन्तर्गत नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 10/111 में दर्ज अभिलेख हैं। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्वा (हे0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
भदली	पौड़ीखाल	10/111	48 1345म0	1.538हे0 0.566हे0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड
			योग–	2.104हे0	

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली–घटधार–थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशो के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्याः–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी टिहरी के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 2.104 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–169 /XI–19 (2020–21)दिनांक,नई टिहरी, दिसम्बर, 07,2021.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
6– अधिशासी अभियन्ता, अंस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर।
7– उप जिलाधिकारी जाखणीधार।
8– तहसीलदार जाखणीधार को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।